छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के चावल की कालाबाजारी पर कार्यवाही

1. (*क्र. 705) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है ? (ख) दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के चावल की कालाबाजारी के कितने प्रकरण सामने आये हैं ? (ग) कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में 33,02,017 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है. (ख) दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के चावल की कालाबाजारी करने के 22 प्रकरण सामने आये है. (ग) कालाबाजारी करने वाले के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :- (1) 11 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है. (2) 6 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जा रही है. (3) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में 02 प्रकरण, अनुविभागीय अधिकारी, बेरला, 01 प्रकरण, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, 01 प्रकरण, अनुविभागीय अधिकारी बालोद के कार्यालय में 01 प्रकरण विचाराधीन है. उपरोक्त 22 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में जप्तशुदा सामग्री के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में विचाराधीन है तथा 22 उचित मूल्य दुकानों में से 20 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया है.

धरसींवा राजस्व मंडल अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए शासकीय भूमि का आवंटन

2. (*क्र. 936) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धरसींवा राजस्व मंडल के अन्तर्गत कितनी-कितनी शासकीय भूमि किन-किन प्रयोजनों के लिए किन-किन व्यक्ति/संस्थाओं को 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में आवंटित की गई है ? ग्राम, खसरा नं. एवं रकबा सहित ब्यौरा दें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : धरसींवा राजस्व निरीक्षक मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में व्यक्ति/संस्थाओं को आवंटित की गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2005-06 (1)	वर्ष 2006-07 (2)	वर्ष 2007-08 (3)
निरंक	1. विधान सभा कर्मचारी गृह निर्माण समिति रायपुर को आवास निर्माण हेतु. ग्राम -टेकरी खसरा नं.-646/20 रकबा 4.00 हे. 2. अखिल भारतीय पीठ परिषद् रायपुर को आश्रम हेतु. ग्राम रावांभाठा खसरा नं.-153, 166, 169 रकबा 4.50 एकड़ 3. रायपुर विकास प्राधिकरण को बस टर्मिनल एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु. ग्राम-रावांभाठा खसरा नं.-394 रकबा 5.320 हे. में से 3.461 हे.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल संभाग रायपुर को विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम-रैता खसरा नं.-32/2 रकबा 15.034 एवं खसरा नं.-402/9 रकबा 12.492 हे.

खरीफ वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में कुल उत्पादित धान

3. (*क्र. 130) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2006-07 के दौरान छ. ग. राज्य में कुल कितने रकबा धान की बोनी की गई थी ? ग्रेडवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ख) खरीफ वर्ष 2007-08 में प्रदेश में कुल कितने रकबा में धान की बोनी की गई थी ? ग्रेडवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ग) खरीफ वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान कितना-कितना धान का उत्पादन राज्य में हुआ ? ग्रेडवार, जिलेवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

महासमुंद जिले में अपात्र राशन कार्डों की जांच

4. (*क्र. 935) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त करने संबंधी दिशा निर्देश राज्य शासन ने जारी किए हैं ? यदि हां, तो कब, दिशा निर्देश क्या है ? (ख) कंडिका "क" के परिपेक्ष्य में महासमुन्द जिले में कुल कितने राशन कार्ड अपात्र पाए गए ? क्या उन्हें निरस्त किया गया ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जी हां. दिनांक 09-01-2008 को विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) जिला महासमुंद में अभी तक कुल 172 राशन कार्ड अपात्र पाए गए हैं, जिन्हें निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है.

बिलासपुर जिले के मुंगेली तहसील में पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण

5. (*क्र. 616) **श्री चन्द्रभान बारमते :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले के मुंगेली तहसील में कौन-कौन से पटवारी हल्कों का नक्शा सहित शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हो गया है तथा कौन-कौन से पटवारी हल्कों के नक्शों का कम्प्यूटरीकरण होना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील में सभी 25 पटवारी हल्कों में नक्शा सहित शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण तहसील स्तर तक हो गया है. विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में है.

बजट में सम्मिलित भवनों के निर्माण हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति

6. (*क्र. 530) **श्री बोधराम कंवर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 के बजट में जिला कोरबा के किन-किन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल, आश्रम, छात्रावास के भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई थी ? विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी दें ? (ख) उक्त भवनों में से किन-किन भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है ? (ग) कितने भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और कितने का नहीं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेश राम भगत) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) ‡ संलग्न परिशिष्ट के समस्त भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है. (ग) 02 भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं, 11 भवनों के कार्य प्रारंभ नहीं हुये है.

वर्ष 2005-06 वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में उपार्जित धान

7. (*क्र. 421) **श्री भूपेश बघेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07 में कितना धान उपार्जित किया गया ? (ख) वर्ष 2007-08 में धान उपार्जन का लक्ष्य कितना रखा गया था और कितना धान उपार्जित किया गया ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) खरीफ वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 35.87 लाख मे. टन तथा खरीफ वर्ष 2006-07 के दौरान 37.14 लाख मे. टन धान की खरीदी की गई. (ख) वर्तमान खरीफ वर्ष 2007-08 के दौरान समर्थन मूल्य पर 40 लाख मे. टन धान उपार्जन की व्यवस्था की गई थी जिसके विरुद्ध दिनांक 07 फरवरी, 2008 तक कुल 31.35 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया जा चुका है.

† परिशिष्ट "एक"   †† परिशिष्ट "दो"   ‡ परिशिष्ट "तीन"

<u>रायगढ़ जिले के स्पंज आयरन/पॉवर प्लांटों का निरीक्षण</u>

8. (*क्र. 11) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2007 के बाद रायगढ़ जिले के विभिन्न स्पंज आयरन/पॉवर प्लांट का निरीक्षण किस-किस क्षेत्रीय अधिकारी/रसायनज्ञ तथा वैज्ञानिक द्वारा कब-कब किया गया ? (ख) निरीक्षण के दौरान कण्डिका "क" की किन-किन इकाईयों में पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की हवा में मात्रा कितनी है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क" अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ख " अनुसार है. (ग) दिनांक 13-02-2008 को किये गये परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन में सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मेटर की मात्रा 451.93 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया.

<u>विकासखण्ड कमडोल के ग्राम बोरसी में आदिवासी छात्रावास भवन का निर्माण</u>

9. (*क्र. 924) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम बोरसी, ग्राम पंचायत बोरसी, विकासखण्ड कमडोल में आदिवासी छात्रावास के भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में प्रदान की गई है ? (ख) यदि हां, तो क्या भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि पूर्ण हो गया है तो कब ? (ग) यदि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्यों एवं कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जी नहीं. वर्ष 2002-03 में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. (ख) भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है. (ग) वर्ष 2006-07 में कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी करने के कारण. कार्य प्रगति पर है. पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

<u>बारदाने खरीदी का लक्ष्य</u>

10. (*क्र. 211) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धान के संग्रहण हेतु वर्ष 2007-08 में कुल कितनी राशि के कितने बारदाने खरीदने का लक्ष्य रखा गया है ? (ख) प्रत्येक बारदाने का न्यूनतम ग्राम कितना निर्धारित है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) धान संग्रहण हेतु वर्ष 2007-08 में 226.96 करोड़ रुपये के 200850 गठान बारदाने खरीदने का लक्ष्य रखा गया. (ख) प्रत्येक एस. बी. टी. बारदाने का न्यूनतम वजन 625 ग्राम निर्धारित है.

<u>धान खरीदी में लाभ/हानि</u>

11. (*क्र. 890) **मोहम्मद अकबर :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लाभ/हानि की क्या स्थिति है तथा वर्षवार अलग-अलग, कितना-कितना एवं कितने-कितने का धान खरीदा गया है ? (ख) उक्त वर्षवार धान खरीदी से संबंधित हानियों की क्षतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी-कितनी शेष है ? कब तक प्राप्त की जावेगी ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) खरीफ वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक समर्थन मूल्य पर निम्नानुसार धान की खरीदी की गई है :-

(मात्रा मे. टन एवं मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र. (1)	खरीफ वर्ष (2)	मात्रा (3)	मूल्य (4)
1.	2003-04	2705067	1519.95
2.	2004-05	2879254	1647.68
3.	2005-06	3586717	2089.96
4.	2006-07	3714195	2352.85
5.	2007-08 (प्रावधिक)	3141550	2379.30

इन वर्षों का लेखा अंतिम रूप से तैयार न हो पाने के कारण वास्तविक लाभ/हानि की गणना अभी नहीं की जा सकी है. (ख) इन वर्षों का लेखा अंतिम रूप से तैयार न हो पाने के कारण भारत सरकार को इन वर्षों के अंतिम क्लेम नहीं भेजे जा सके हैं. निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है.

अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व योजना की स्वीकृति

12. (*क्र. 950) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में स्थित कौन-कौन से अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व बनाये जाने की स्वीकृति छ. ग. शासन एवं केन्द्रीय सरकार भारत शासन द्वारा कब-कब प्रदान कर दी गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि 'अचानकमार अभ्यारण्य' जिला बिलासपुर के प्रस्तावित टाईगर रिजर्व हेतु कोर जोन एवं बफर जोन के निर्धारण हेतु छ. ग. वन विभाग द्वारा समिति का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सदस्य हैं तथा इस समिति की बैठक कब-कब हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थित अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व में सम्मिलित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 5 अगस्त 2006 को प्रदान की गई है. राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) हां यह सत्य है कि अचानकमार अभ्यारण्य के प्रस्तावित टाईगर रिजर्व हेतु कोर जोन एवं बफर जोन के निर्धारण हेतु छ. ग. शासन वन विभाग द्वारा निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है.

1.	डॉ. एस. सी. जैना, (सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	अध्यक्ष
2.	श्री एस. सी. श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	सदस्य
3.	श्री शशी कोन्हेर, (अध्यक्ष प्रेस क्लब बिलासपुर)	सदस्य
4.	श्री अनुराग शुक्ला, (नेचर क्लब बिलासपुर)	सदस्य
5.	श्री फणीन्द्र राव, (संचालक, अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर)	सदस्य-सचिव

विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 16-1-2008 को सम्पन्न हुई है.

खेरथा विधान सभा क्षेत्र में जारी राशनकार्डों की संख्या

13. (*क्र. 374) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के खेरथा विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक प्रत्येक माह में जारी राशनकार्डों की संख्या ग्रामवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश क में उल्लेखित राशन कार्ड कितने प्रकार के, कितनी-कितनी संख्या में बनाये गये हैं ? ग्रामवार, प्रकारवार व माहवार बतावें ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) दुर्ग जिले के खेरथा विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक प्रत्येक माह ग्रामवार राशनकार्ड जारी नहीं किये गये हैं अपितु समय-समय पर मुद्रित होकर प्राप्त राशनकार्ड विकासखण्डों को ग्रामवार न भेजते हुए, एकजाई ग्राम पंचायतवार वितरित करने हेतु भेजे गये हैं. ग्राम पंचायतवार वितरित किए गए राशनकार्डों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

प्रदेश में तीन रुपये किलो चावल के प्रदाय हेतु निर्धारित मापदण्ड

14. (*क्र. 570) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी-कितनी संख्या में किस-किस श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 3/- रु. प्रति किलो चावल प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित चावल योजना के तहत पात्र लोगों के लिए क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) एवं (ख) किस श्रेणी के कितने परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो चावल प्रदाय किया जा रहा है, उसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

केसरिया राशनकार्ड - बी. पी. एल. सर्वे सूची वर्ष 2002 (ग्रामीण) में छूटे अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के वर्तमान कार्डधारी परिवार जिनके नाम वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 (ग्रामीण) की बी. पी. एल. सर्वे सूची में शामिल-4,38,474 परिवारों को, 35 किलो चावल प्रतिमाह.

10 किलो केसरिया राशनकार्ड - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उन हितग्राहियों के लिये जिनके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं का अन्य कोई राशनकार्ड नहीं है- 2,28,904 परिवारों को, 10 किलो चावल प्रतिमाह.

स्लेटी राशनकार्ड - बी. पी. एल. सर्वे सूची वर्ष 1991, 1997 के वर्तमान कार्डधारी एवं वर्ष 2002 (ग्रामीण) सर्वे सूची में सम्मिलित समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार एवं विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिये- 12,14,850 परिवारों को, 35 किलो चावल प्रतिमाह.

पीला राशनकार्ड - बी. पी. एल. सर्वे सूची वर्ष 1997 (नगरीय) वर्ष 2002 (ग्रामीण) में पात्र समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के परिवारों के लिये- 7,00,889 परिवारों को, 35 किलो चावल प्रतिमाह.

लाल राशनकार्ड - अन्त्योदय अन्न योजना के समस्त अति गरीब परिवारों के लिये-7,18,900 परिवारों को, 35 किलो चावल प्रतिमाह.

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

15. (*क्र. 946) **श्री रामदयाल उइके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले के किन-किन धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है तथा उनके विकास हेतु शासन द्वारा वर्ष 2006-07 वर्ष 2007-08 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : कोरबा जिले के चिन्हांकित धार्मिक पर्यटन स्थल तथा उनके विकास हेतु चैतुरगढ़ में वर्ष 2006-07 में कुल राशि रुपये 67,58,550.00 (सड़सठ लाख अट्ठावन हजार पांच सौ पचास रुपये) केवल तथा वर्ष 2007-08 में कुल राशि रुपये 55,29,936.00 (पचपन लाख, उन्तीस हजार, नौ सौ छत्तीस रुपये) केवल स्वीकृत की गई है, जिसका विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है.

जंगली हाथियों के प्रभावितों को प्रदत्त सहायता राशि

16. (*क्र. 560) **श्री अमरजीत भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में जंगली हाथियों के द्वारा मकान, फसल एवं जन-धन नुकसान की कितनी घटनायें घटित हुई है ? (ख) कितने प्रभावितों को मदद राशि उपलब्ध करायी गई तथा कितने शेष है ? कब तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. जनहानि प्रकरणों की शेष क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने, एवं मकान, फसल एवं अन्य प्रकरणों की शेष क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र किया जाएगा.

अंत्यावसायी विकास निगम में प्राप्त आवेदनों का निराकरण

17. (*क्र. 70) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के युवकों को रोजगार दिलाने के लिए वर्ष 2007 में अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ? (ख) बिलासपुर जिले के बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के कितने आवेदकों के प्रकरण प्राप्त हुए ? कितने पर कार्यवाही की जा चुकी है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) वर्ष 2007 में 825 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया. (ख) 20 आवेदकों के प्रकरण प्राप्त हुए. सभी 20 आवेदकों के प्रकरणों पर कार्यवाही की जा चुकी है.

पर्यटन स्थलों में विकास/निर्माण में व्यय राशि

18. (*क्र. 933) **श्री संजय ढीढी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के अंतर्गत कहां-कहां पर्यटन स्थल हैं, वर्ष 2006-2007 एवं 2007-08 में कितनी-कितनी राशि इन पर्यटन स्थलों के विकास एवं निर्माण पर व्यय की गई ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार आरंग स्थित पर्यटन स्थल में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में किन-किन कार्यों को संपन्न कराया गया ? लागत राशि बतावें ? (ग) कंडिका "ख" का निर्माण कार्य किसके माध्यम से कराया गया और उसकी मानिटरिंग किसके द्वारा की गई है ?

† परिशिष्ट "चार" †† परिशिष्ट "पांच"

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के निम्न चिन्हांकित स्थानों पर पर्यटन स्थल हैं जिनके विकास एवं निर्माण के लिए निम्न राशियां वर्षवार जारी की गई हैं :-

क्रमांक	स्थल	वर्ष 2006-07 रु. लाख में	वर्ष 2007-08 रु. लाख में
1.	रायपुर	200.32	15.00
2.	राजिम	20.62	127.88
3.	चंपारण्य	25.62	-
4.	फिंगेश्वर	-	-
5.	आरंग	25.00	17.64
6.	पलारी	-	-
7.	गिरौदपुरी	-	-
8.	चंद्रखुरी	10.00	16.26
9.	बारनवापारा	18.67	49.59
10.	उदंती (कोयबा)	25.39	9.00
11.	दामाखेड़ा	48.00	-
	कुल योग	**373.62**	**235.37**

(ख) कंडिका "क" के अनुसार आरंग स्थित पर्यटन स्थल में वर्ष 2006-07 में अग्रिम राशि जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाकर वर्ष 2007-08 में निम्न कार्य संपन्न कराया गया है :-

क्रमांक	स्थल	वर्ष 2006-07 रु. लाख में	वर्ष 2007-08 रु. लाख में
1.	**बागेश्वर बाबा मंदिर का उन्नयन**		
	01. मुख्य द्वार का निर्माण	-	1,59,681.00
	02. प्रकाशीकरण	-	26,000.00
2.	**झुनझुनवाला महादेव मंदिर का उन्नयन**	-	
	01. शिवलिंग मंच का विकास, सीढ़ी निर्माण	-	1,60,000.00
	02. लैण्डस्केपिंग, प्रकाशीकरण एवं बोरवेल्स	-	69,650.00
3.	**महामाया मंदिर का उन्नयन**	-	
	01. फ्लोरिंग कार्य	-	7,23,085.00
	02. ज्योति कलश कक्ष	-	7,52,917.00
4.	**पंचमुखी महादेव मंदिर का उन्नयन**	-	
	01. पगोड़ा	-	2,63,609.00
	02. धर्मशाला निर्माण	-	7,74,151.00
5.	**पंचमुखी हनुमान मंदिर का उन्नयन**	-	
	01. लैण्डस्केपिंग एवं बोरवेल्स	-	2,33,256.00
6.	**जोगेश्वर मंदिर का उन्नयन**	-	
	01. लैण्डस्केपिंग एवं बोरवेल्स	-	3,56,582.00
7.	राजा मोरध्वज स्वागत द्वार का निर्माण	-	5,12,493.00
8.	सुलभ शौचालय का निर्माण	-	8,07,500 वर्ष 2005-06 2,33,500 वर्ष 2007-08
	कुल योग	-	**50,72,424.00**

(ग) आरंग में सुलभ शौचालय का निर्माण मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन, भोपाल से एवं अन्य विकास कार्य मेसर्स कोठारी एण्ड एसोसिएट्स, रायपुर के माध्यम से करवाये गये हैं इनकी मानिटरिंग छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के उप अभियंता एवं अन्य अधिकारीगणों के द्वारा समय-समय पर की गई.

कुदुरमाल-हाटी मार्ग पर अधिग्रहीत भूमि का नामान्तरण

19. (*क्र. 729) **श्री ननकीराम कंवर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अन्तर्गत कुदुरमाल-हाटी मार्ग पर किन-किन किसानों की भूमि कब अधिगृहीत की गई है ? (ख) अधिगृहीत भूमि का नामांतरण लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कब किया गया ? (ग) उक्त अधिगृहित भूमि से किस गांव के किस व्यक्ति दुबारा बिक्री किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोरबा जिले के अन्तर्गत कुदुरमाल-हाटी मार्ग पर 249 कृषकों की भूमि दिनांक 29-08-68 को अधिगृहीत की गई. संबंधित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दी गई है. (ख) अधिगृहित भूमि का नामांतरण लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निम्नांकित तिथियों को किया गया :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	लोक निर्माण विभाग को नामान्तरित किये जाने की तिथि
1.	ग्राम कुदुरमाल, सेमीपाली, उरगा	दिनांक 04-09-1968
2.	ग्राम कुकरीचोली	दिनांक 22-12-2007
3.	ग्राम भैसमा, चितपाली, डोंगदरहा, मकदूकला, चचिया, तौलीपाली व कुदमुरा.	दिनांक 28-12-2007

(ग) ग्राम कुकरीचोली के कृषक (1) दशरथ पिता अनूपसिंह, (2) बुधवारा पिता रामचरण, (3) गाड़ाराम, (4) भगतराम रामप्रसाद, पिता सुखरा, (5) कुंजराम पिता भोजराम एवं (6) कुदारू पिता दुमवली द्वारा अधिगृहित भूमि से दुबारा बिक्री की गई.

विभिन्न आवास योजनांतर्गत निर्मित आवासों का विक्रय एवं आवंटन

20. (*क्र. 282) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में प्रदेश सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनांतर्गत कुल कितने-कितने आवासों का निर्माण किया गया है ? कितने निर्माणाधीन है ? योजनावार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) निर्मित आवासों के आवंटन एवं विक्रय हेतु क्या-क्या मापदण्ड तय किये गये है एवं इन वर्षों में कितने-कितने आवासों का विक्रय एवं आवंटन किया गया ? वर्षवार जानकारी देवें.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर केन्द्र द्वारा प्रदत्त बोनस

21. (*क्र. 914) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31-01-2008 तक समर्थन मूल्य में कुल कितना धान खरीदा गया, जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) 31-01-2008 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु कुल कितना बोनस केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया, जानकारी देवें ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) दिनांक 31-01-2008 तक समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु 100/- प्रति क्विंटल बोनस केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है. अभी तक केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है. राज्य सरकार द्वारा किसानों को रिजर्व बैंक से ऋण लेकर भुगतान किया जा रहा है.

महासमुंद जिले में अंत्यावसायी योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन

22. (*क्र. 450) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2007-2008 हेतु अंत्यावसायी योजना अंतर्गत कितने लोगों को स्वरोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया था ? जिले में लक्ष्य विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुये ?

† परिशिष्ट "छ :"

(ख) कितने प्रकरण कार्यवाही कर स्वीकृत किये गये ? 1 जनवरी, 2008 की स्थिति में जिले के कितने आवेदन पत्र लंबित है ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) 259 लोगों का लक्ष्य रखा गया था. लक्ष्य के विरुद्ध 330 आवेदन प्राप्त हुये. (ख) 175 प्रकरण कार्यवाही कर स्वीकृत किये गये. 138 आवेदन पत्र लंबित हैं. (ग) समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

गृह निर्माण मंडल को टाऊन शिप निर्माण हेतु आवंटित भूमि

23. (*क्र. 892) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. गृह निर्माण मंडल को नया रायपुर टाऊन शिप निर्माण के लिए शासन द्वारा किस दर पर कितनी भूमि आवंटित की गई है ? (ख) नया रायपुर टाऊनशिप के स्वतंत्र भवन निर्माण की जो लागत निर्धारित की गई है, वह प्रतिवर्ग के हिसाब से क्या है ? (ग) उक्त योजना के स्वतंत्र भवन/फ्लैट्स के निर्माण की अवधि क्या निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) उक्त योजना के तहत निर्माण कार्य स्वयं गृह निर्माण मंडल द्वारा अथवा किसी निजी ठेकेदार से निर्माण कार्य करवाया जायेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) छ. ग. गृह निर्माण मंडल को नया रायपुर में आवास निर्माण एवं विकास हेतु शासन द्वारा लगभग 62 हेक्टेयर भूमि 52.48 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से जिसमें बाह्य विकास की राशि शामिल है, आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. (ख) नया रायपुर टाऊनशिप के स्वतंत्र भवन की अनुमानित निर्माण लागत निम्नानुसार आंकलित की गई है :-

क्र.	भवन प्रकार	लागत रु. प्रति वर्ग फुट
1.	2 बेड रूम, हाल एवं किचन	850/-
2.	3 बेड रूम, हाल एवं किचन	900/-
3.	4 बेड रूम, हाल एवं किचन	1000/-

(ग) जी हाँ, उक्त योजना के स्वतंत्र भवन/फ्लैट्स के निर्माण की अवधि, निर्माण प्रारंभ दिनांक से 2 वर्ष निर्धारित की गई है. (घ) उक्त योजना के तहत निर्माण कार्य गृह निर्माण मण्डल द्वारा ठेका पद्धति से कराया जावेगा.

खेल कैलेण्डर के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन

24. (*क्र. 937) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 के खेल कैलेण्डर के अनुसार राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर कौन-कौन से खेलों की प्रतियोगिता कहां-कहां आयोजित की गई ? (ख) क्या ग्रामीण स्तर पर भी खेल नीति के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन सा खेल, और किन स्तरों पर ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) प्रतियोगिता आयोजन के लिए ग्रामीण स्तर के नाम से प्रतियोगिता का कोई स्तर निर्धारित नहीं है. प्रतियोगिता आयोजन के लिए ब्लाक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर निर्धारित है. ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर में किया गया है. उक्त स्तरों पर आयोजित ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित खेल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

श्रमिकों के पलायन रोकने संबंधी

25. (*क्र. 134) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में 31 जनवरी, 2008 तक कितने श्रमिकों ने पलायन किया ? जिलेवार जानकारी दें ? श्रमिकों के पलायन रोकने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वर्ष 2006-07 में कुल 55964 तथा वर्ष 2007-08 में दिनांक 31 जनवरी 2008 तक कुल 34326 मजदूरों ने अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बाहर गये हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है. पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा सभी जिला में रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा विभागीय मद आदि से रोजगार मूलक कार्य संचालित है. शासन द्वारा उक्त संदर्भ में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं.

† परिशिष्ट ''सात''

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 935) के भाग (क) की जानकारी]

डॉ. आलोक शुक्ला

सचिव

फोन एवं फैक्स : 0771-2221276

ई-मेल : dralokshukla@gmail.com

dralokshukla@hotmail.com

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 4-2/खाद्य/07

रायपुर, दिनांक 09-01-2008

विषय :- अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त करने तथा राशन कार्डों की डेटाबेस अद्यतन करने के संबंध में.

प्रिय,

विभिन्न जिलो में बनाए गए राशन कार्डों की संख्या का अवलोकन करने से यह बात सामने आई है कि अनेक जिलों में बहुत बड़ी संख्या में गरीबों के राशन कार्ड बनाए गए हैं. कुछ जिलों में तो यह संख्या 70 प्रतिशत से भी अधिक है. योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 42-52 प्रतिशत मान्य की गई है. यदि इसमें 1991 और 1997 की गरीबी रेखा की सूचियों को भी शामिल कर लिया जाए तो भी यह संख्या इतनी अधिक नहीं हो सकती है. अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी राशन कार्डों की जांच की जाए और यदि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बन गए है तो उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए. इस संबंध में मैंने पूर्व में आपको एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा था जिसमें राशन कार्डों की सूचियों का वाचन ग्राम सभाओं में कराने के निर्देश दिये थे. ऐसा प्रतीत होता है कि अभी यह कार्यवाही नहीं हो पाई है. अपात्र व्यक्तियों के पहचान के लिये कुछ मापदण्ड अपनाए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान है, शासकीय नौकरी है, निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरी है जिसमें 2000 रुपये मासिक से अधिक आमदनी है, 5 एकड़ से अधिक की भूमि है, जीप, ट्रैक्टर अथवा मोटर साइकिल है, घर पर टेलीविजन या लग्जरी का अन्य सामान है तो ऐसे परिवार को गरीब नहीं माना जा सकता और उसे चिन्हित करके उसके राशन कार्ड को निरस्त किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि कुछ व्यक्तियों के एक से अधिक राशन कार्ड बन गए हों. ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि मृत व्यक्तियों तथा गाँव और शहर छोड़कर चले जाने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड भी बन गए हैं. कहीं-कहीं पर यह बात भी आई है. उचित मूल्य दुकान के संचालकों द्वारा कुछ लोगों के राशन कार्ड अपने पास रख लिए गए हैं. इन सभी राशन कार्डों की पहचान करके इन्हें तत्काल निरस्त करना आवश्यक है. मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने से पात्र व्यक्तियों को हानि पहुंचती है इसलिए एक अभियान चलाकर हमें एक माह के भीतर सभी अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त करने होंगे. कृपया इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करें. निरस्त किए गए राशन कार्ड मूलत: संचालनालय खाद्य को भेजें जिससे उन्हें डेटाबेस से भी हटाया जा सके और नष्ट किया जा सके. यह इसलिए आवश्यक है कि जिससे निरस्त किए गए राशन कार्ड किसी भी दशा में प्रचलन में न रहे.

राशन कार्ड के डेटाबेस में भी अभी काफी त्रुटियाँ हैं. जिस समय जनवरी माह में दुकानवार आवंटन राज्य स्तर से जारी किया गया, उस समय यह त्रुटियाँ स्पष्ट हो गई. इन त्रुटियों को तत्काल दूर करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जाना होगी :-

विभाग की वेबसाईट पर ऐसी दुकानों की सूची दर्शायी गई हैं, जिनमें जिलों द्वारा बताए गए राशन कार्डों की संख्या डेटाबेस में उपलब्ध राशन कार्डों की संख्या से मेल नहीं खाती. इस सूची में ऐसी दुकानों के लिये पहली लाईन में जिले द्वारा दी गई राशन कार्ड संख्या दर्शाई गई है जो मैनुअली भरी गई है तथा दूसरी लाईन में डेटाबेस में उपलब्ध राशन कार्डों की संख्या दर्शाई गई है. इन दुकानों के आगे दिए गए बटन को क्लिक करने पर उस दुकान के लिए डेटाबेस में उपलब्ध राशन कार्डों की कार्डवार जानकारी दिखाई पड़ेगी. जिसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है.

कार्डवारी जानकारी का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसका विश्लेषण करना होगा. विश्लेषण के उपरांत जिन राशन कार्डों को डिलीट करना हो वे मूलत: संचालनालय खाद्य को भेजे जायेंगे, जिसमें से उन्हें डिलीट किया जा सके. इसी प्रकार कुछ ऐसे परिवार हो सकते है जिनके राशन कार्ड इस सूची में नहीं दिख रहे हैं, इनके लिये निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :-

(क) वे राशन कार्ड जो इस दुकान की सूची में नहीं दिख रहे हैं, परन्तु किसी अन्य दुकान की सूची में दिख रहे हैं. उनकी शॉप आईडी बदली होगी. इसके लिये परिशिष्ट-1 में जानकारी तैयार करके भेजनी होगी.

(ख) वे राशन कार्ड जो किसी भी दुकान की सूची में नहीं दिख रहे हैं, परन्तु बने हैं, उनके लिए परिशिष्ट-2 में जानकारी तैयार करके भेजनी होगी.

(ग) ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड बने ही नहीं है, उनकी डेटा एंट्री करके पूर्व की भांति राशन कार्ड बनाने के लिये डेटा भेजना होगा, परन्तु डेटा भेजने के पूर्व यह अच्छी तरह से देख लिया जाए कि ये परिवार राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं, क्योंकि पूर्व में ही बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड बन चुके हैं.

कृपया यह समस्त कार्यवाही जनवरी माह में ही पूरी करा लें जिससे फरवरी माह का आवंटन जारी करने में कोई कठिनाई न हो.

भवदीय

(डॉ. आलोक शुक्ला)

श्री विकासशील
कलेक्टर
जिला-रायपुर

परिशिष्ट - 1

ऐसे राशन कार्ड जिनकी शॉप आई डी बदलनी है

क्रमांक	राशन कार्ड क्रमांक	वर्तमान शॉप आई डी इसमें वह कार्ड है.	वह शॉप आई डी जिसमें वह कार्ड अंतरित करना है

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 616) की जानकारी]

	तहसील मुंगेली के उन हल्कों की सूची जहां खसरा/नक्शों का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है.		कम्प्यूटीकरण हेतु शेष हल्कों की जानकारी
क्रमांक	पटवारी हल्का नंबर	मुख्यालय का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	सेतगंगा	निरंक
2.	2	छटन	"-,,-"
3.	3	फंदवानी	"-,,-"
4.	4	कंजेली	"-,,-"
5.	5	सुरीघाट	"-,,-"
6.	6	मुंगेली	"-,,-"
7.	7	रामगढ़	"-,,-"
8.	8	मुंगेली	"-,,-"
9.	9	चातरखार	"-,,-"
10.	10	झांकी	"-,,-"
11.	11	सिल्ली	"-,,-"
12.	12	राजपुर	"-,,-"
13.	13	पौनी	"-,,-"
14.	14	टेढाधौरा	"-,,-"
15.	15	टेमरी	"-,,-"
16.	16	पुगरा	"-,,-"
17.	17	पंडरभट्ठा	"-,,-"
18.	18	जमहा	"-,,-"
19.	21	परमपुरा	"-,,-"
20.	22	कोदवाबानी	"-,,-"
21.	23	भठलीकला	"-,,-"
22.	24	जरहागांव	"-,,-"
23.	25	बरेला	"-,,-"
24.	26	पदमपुर	"-,,-"
25.	27	फरहदा	"-,,-"

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 530) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2007 -08 में जिला-कोरबा में स्वीकृत हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री/छात्रावास आश्रम भवनों की जानकारी

क्र. (1)	विकास खण्ड का नाम (2)	वर्ष 2007-08 के बजट में स्वीकृत भवनों के नाम (3)
1.	पाली	1. हाईस्कूल पोलमी
	पाली	2. आदिवासी प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास उतरदा
	पाली	3. आदिवासी बालक आश्रम सिल्ली
	पाली	4. आदिवासी बिंझवार आश्रम हरदीबाजार
2.	पोड़ीउपरोड़ा	5. हाईस्कूल पिपरिया
	पोड़ीउपरोड़ा	6. उच्चतर माध्यमिक शाला जटगा
	पोड़ीउपरोड़ा	7. आदिवासी प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा
	पोड़ीउपरोड़ा	8. आदिवासी संयुक्त आश्रम सिर्री
	पोड़ीउपरोड़ा	9. आदिवासी कन्या आश्रम मातिन
3.	कोरबा	10. आदिवासी संयुक्त आश्रम देवपहरी
	कोरबा	11. आदिवासी प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास कोरकोमा
4.	करतला	12. आदिवासी प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास सेन्दीपाली
	करतला	13. आदिवासी संयुक्त आश्रम बरपाली

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 946) की जानकारी]

कोरबा जिले के निम्नलिखित धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है :-

क्र.	पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पाली	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन शिव मंदिर
2.	लाफागढ़	ऐतिहासिक, धार्मिक	प्राचीन किला, गुफा, महामाया मंदिर
3.	चैतुरगढ़	ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक	प्राचीन किला, दुर्गा मंदिर, गुफा, प्राकृतिक दृश्य
4.	तुमान	पुरातात्विक	प्राचीन शिव मंदिर

उक्त धार्मिक पर्यटन स्थलों में चैतुरगढ़ के विकास कार्य हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वनमंडलाधिकारी कोरबा को निम्नानुसार वर्षवार राशि स्वीकृत कर जारी की गई है :-

क्रमांक	कार्य स्थल	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत राशि वर्षवार		कार्य की स्थिति
				वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	चैतुरगढ़ जिला-कोरबा (केन्द्रीय परियोजना)	रिटेनिंग वॉल/पिचिंग (तालाब) रेस्ट हाउस (2 रूम, 1 हॉल) मड हाउस छोटे कॉटेजेस डोरमेटरी (प्रसाद वितरण केन्द्र) इलेक्ट्रीसिटी कार्य हेतु रैंप का निर्माण.	(67,58,550.00 + 30,04,936.00) = 97,63,986.00	67,58,550.00	30,04,936.00	कार्य पूर्णता की ओर
2.	चैतुरगढ़ जिला-कोरबा (केन्द्रीय परियोजना)	चैन लिंग फेंसिंग रेस्ट हाउस काटेज एवं मड हाउस हेतु. रेस्ट हाउस, काटेज एवं मड हाउस में लैण्ड स्केपिंग कार्य. चैतुरगढ़ किले के दर्शनीय स्थलों पर प्लेटफार्म एवं रैलिंग निर्माण 4 स्थल रु. 80,000 प्रत्येक. कॉटेज एवं मड हाउस के सामने पाइप रैलिंग का निर्माण. किले के चारों ओर मुरूम रोड का निर्माण 5 कि. मी. 2.00 लाख की दर से. रेस्ट हाउस के पीछे किचन एवं आउट हाउस का निर्माण.	25,25,000.00	-	25,25,000.00	कार्य पूर्णता की ओर
		कुल योग		**67,58,550.00**	**55,29,936.00**	

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 560) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष	जनहानि				मकान, फसल एवं अन्य हानि			
	प्रकरण संख्या	देय भुगतान राशि (रुपये में)	भुगतान की गई राशि (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)	प्रकरण संख्या	देय भुगतान राशि (रुपये में)	भुगतान की गई राशि (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2005-06	17	17,00,000	17,00,000	0	6,164	1,08,47,255	1,08,47,255	0
2006-07	25	24,90,000	24,90,000	0	9,794	1,08,84,809	1,08,84,809	0
2007-08 दिस. 07 तक	21	23,00,000	17,20,000	5,80,000	7,717	88,06,457	68,02,561	20,03,896
योग	**63**	**64,90,000**	**59,10,000**	**5,80,000**	**23,675**	**3,05,38,521**	**2,85,34,625**	**20,03,896**

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 914) के भाग (क) की जानकारी]

खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में उपार्जित धान की जानकारी

(मात्रा मे. टन में)

क्रमांक	जिला का नाम	वर्ष 2007-08 में उपार्जित धान की मात्रा (दिनांक 31-01-08)
(1)	(2)	(3)
1.	रायपुर	756253
2.	महासमुंद	292841
3.	धमतरी	213095
4.	दुर्ग	466797
5.	राजनांदगांव	176481
6.	कवर्धा	65568
7.	बिलासपुर	267256
8.	कोरबा	26696
9.	जांजगीर	341966
10.	रायगढ़	251714
11.	जशपुर नगर	14340
12.	अम्बिकापुर	92039
13.	कोरिया	11003
14.	कांकेर	74798
15.	जगदलपुर	55850
16.	दन्तेवाड़ा	14986
	योग	**3121683**

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 134) की जानकारी]

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 दि. 31 जनवरी 2008 तक जिलेवार पलायन की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	2006-07	2007-08 (दि. 31-1-2008 तक)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	11246	3683	
2.	महासमुन्द	511	516	
3.	धमतरी	-	-	
4.	दुर्ग	11254	9305	
5.	राजनांदगांव	14035	2039	
6.	कबीरधाम	1745	795	
7.	बस्तर	-	-	
8.	कांकेर	-	-	
9.	दंतेवाड़ा	-	-	
10.	बिलासपुर	8691	8766	
11.	जांजगीर-चांपा	8482	9222	
12.	कोरबा	-	-	
13.	रायगढ़	-	-	
14.	जशपुर	-	-	
15.	सरगुजा	-	-	
16.	कोरिया	-	-	
17.	बीजापुर	-	-	
18.	नारायणपुर	-	-	
	योग	**55964**	**34326**	